सरकारी शिक्षकों को रूफटॉप सोलर योजना की दी जानकारी

भास्कर न्यूज़ | दाउदनगर

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सरकारी शिक्षकों व कर्मियों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को अशोक इंटर कॉलेज, दाउदनगर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में सौर ऊर्जा प्रणाली, सरकारी अनुदान, आवेदन प्रक्रिया और रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की गई।

कार्यशाला में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद मुख्तार आलम, राजस्व पदाधिकारी नीरज मिश्रा, कनीय विद्युत अभियंता मनोज कुमार सिंह, कनीय लाइनमैन हिमांशु कुमार रंजन, कार्यपालक सहायक रवि कुमार और सोलर वेंडर रौशन कुमार सिंह अपनी टीम (पंकज कुमार, राजन कुमार, प्रितेश) के साथ मौजूद रहे।

कार्यशाला में बिजली विभाग के अधिकारियों ने समझाई योजना की प्रक्रिया

योजना की जानकारी देते बिजली विभाग के अधिकारी एवं उपस्थित शिक्षक।

सौर ऊर्जा अपनाने और अनुदान पर जोर

कार्यपालक अभियंता मोहम्मद मुख्तार आलम ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बिजली बिल के बोझ को कम करना है। उन्होंने शिक्षकों से अपने घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने की अपील की। कार्यशाला में बताया गया कि योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता (अनुदान) मिलती है, जिससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी।

देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार

रफीगंज | पौथु थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड संख्या 103/26 के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त प्रियांशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ के आधार पर घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी पौथु डीह गांव का रहने वाला है।

पुलिस के अनुसार, कांड संख्या 103/26 में नामजद अभियुक्त प्रियांशु की संलिप्तता के ठोस साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस टीम ने उसके ठिकाने पर दबिश दी। तलाशी के क्रम में उसके कमरे से अवैध आर्म्स और कारतूस मिले।

पौथु थानाध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि कांड संख्या 103/26 के नामजद आरोपी प्रियांशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके घर से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस तथा पूछताछ के बाद घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू जब्त किया गया है। अवैध हथियार रखने और संबंधित आपराधिक मामले में अभियुक्त के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

मदनपुर प्रखंड के नावाडीह हत्याकांड का खुलासा, पुलिस जांच में बात आई सामने

अंधविश्वास में गई थी वृद्ध की जान, हत्या के आरोप में 3 धराए

सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद

अंधविश्वास किस तरह किसी की जान का दुश्मन बन सकता है, इसकी बानगी मदनपुर प्रखंड के आजन थानाक्षेत्र के नावाडीह गांव में देखने को मिली है। यहां 60 वर्षीय वृद्ध कर्मू रिकियासन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए गांव के ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक अनुसंधान और पूछताछ में हत्या के पीछे अंधविश्वास की बात सामने आई है। हालांकि, ओझा-गुणी या किसी कथित तंत्र-मंत्र को लेकर क्या शक था, इसी वजह से हत्या की गई या नहीं, इस संबंध में पुलिस ने अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान नावाडीह निवासी कमलेश भुईंया (35), रघुनंदन भुईंया (32) और जयनंदन भुईंया (45) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, तीनों ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया है।

आरोपितों की निशानदेही पर खेत से बरामद हुई कुल्हाड़ी

पुलिस हिरासत में तीनों आरोपी

तकनीकी जांच से आरोपितों तक पहुंची पुलिस

हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने सदर-02 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की। टीम को जल्द मामले का उद्भेदन करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण किया। आसूचना संकलन के आधार पर संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश की गई। जांच के क्रम में पुलिस ने नावाडीह गांव से तीन लोगों को पकड़ा। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर खेत से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद की गई है।

सुबह मिली थी हत्या की सूचना, गांव पहुंची पुलिस

पुलिस के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 8:25 बजे आजन थानाध्यक्ष को नावाडीह गांव में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। जांच शुरू की गई। मृतक की पहचान गांव निवासी कर्मू रिकियासन, पिता स्वर्गीय तिलक रिकियासन, उम्र 60 वर्ष के रूप में की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल पर आसपास के लोगों से पूछताछ की। उनके बयान दर्ज किए गए। इसके साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए डॉग स्क्वायड और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को बुलाया गया।

ओझा-गुणी के शक की पुष्टि होना बाकी

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे अंधविश्वास को कारण बताया है। ग्रामीण इलाकों में ओझा-गुणी, झाड़-फूंक, कथित तंत्र-मंत्र से जुड़े शक कई बार विवाद की वजह बनते हैं। हालांकि, इस मामले में मृतक को ओझा-गुणी समझने, किसी पर जादू-टोना करने का आरोप लगाने, इसी आधार पर हत्या किए जाने की बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए हत्या को सीधे ओझा-गुणी के शक से जोड़ना फिलहाल जल्दबाजी होगी। गिरफ्तार तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई कर रही है।

बेटे की तलाश में दर-दर भटक रहे माता-पिता

हसपुरा | हसपुरा थाना क्षेत्र के निलकोठी, दिलावरपुर गांव निवासी 23 वर्षीय भूषण कुमार बीते 18 सितंबर से लापता है। बेटे के अचानक लापता होने से उसके माता-पिता, मुनेश्वर पासवान और लालो देवी, परेशान हैं। वे अपने बेटे की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। परिजनों के अनुसार, भूषण कुमार विश्वकर्मा पूजा के दूसरे दिन, 18 सितंबर को घर से निकला था। इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। भूषण मानसिक रूप से कमजोर है। परिजन उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लापता भूषण की उम्र 23 वर्ष है। उसकी लंबाई करीब पांच फीट है।

दीपावली पर अग्निशमन विभाग अलर्ट, छठ घाटों पर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम

सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद

दीपावली और छठ महापर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। त्योहारों के मद्देनजर बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई। बैठक में औरंगाबाद की जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा शामिल हुए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने संवेदनशील स्थलों पर सतर्कता, भीड़ प्रबंधन, अग्निशमन व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों को क्षेत्र में शांति व सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने पर जोर दिया गया।

बैठक में मौजूद डीएम व एसपी

पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर रहेगी नजर: दीपावली के दौरान अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन (फायर ब्रिगेड) विभाग को अलर्ट मोड पर रखने का निर्देश दिया गया है। पटाखों की बिक्री व उपयोग से जुड़े निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन कराने और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने की बात कही गई।

छठ घाटों पर सफाई, रोशनी और बैरिकेडिंग के निर्देश: छठ महापर्व के अवसर पर घाटों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्वच्छता, पर्याप्त रोशनी, खतरनाक घाटों पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए भी अस्पतालों और राहत टीमों को तैयार रखने को कहा गया है।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं।

भूमि अधिग्रहण में देरी पर संघर्ष समिति का अल्टीमेटम

एक महीने में प्रक्रिया शुरू हो , बिहटा-औरंगाबाद रेल परियोजना को लेकर प्रशासन से मिले प्रतिनिधि

भास्कर न्यूज़ | दाउदनगर

बिहटा-औरंगाबाद रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में हो रही देरी को लेकर संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन को एक महीने का अल्टीमेटम दिया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय के भीतर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई गई, तो अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन का चक्का जाम किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण को लेकर संघर्ष समिति ने दी चेतावनी।

समिति के केंद्रीय संयोजक अजय कुमार ने औरंगाबाद की जिलाधिकारी से मुलाकात कर भूमि अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। इसके पश्चात उन्होंने भू-अर्जन पदाधिकारी शुभेंदु कुमार झा से भी चर्चा की। समिति के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण से संबंधित गजट पहले ही जारी किया जा चुका है और जोकहरी व जगदीशपुर मौजा से जुड़ा विवाद भी सुलझ गया है।

प्रतिनिधियों ने चिंता जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दो साल पहले ही राशि उपलब्ध कराए जाने के बावजूद प्रशासनिक ढिलाई के कारण अधिग्रहण अटका हुआ है। यदि यही स्थिति रही, तो चार साल में पूरी होने वाली इस योजना को पूरा होने में 20 वर्ष लग जाएंगे।

जोन-सी कबड्डी में औरंगाबाद की बेटियों ने गया को हरा जीता खिताब

उपविजेता रही मेजबान टीम गया, पांच जिलों की टीमों ने दिखाया था दम

भास्कर न्यूज़ | गयाजी

औरंगाबाद की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जोन-सी महिला कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। हंसराज पब्लिक स्कूल, गया में शुक्रवार को खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में औरंगाबाद ने मेजबान गया की टीम को 40-20 के बड़े अंतर से हराकर विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं गया की टीम को उपविजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा।

बिहार राज्य कबड्डी संघ के निर्देशन में गया जिला कबड्डी संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में मगध क्षेत्र की 5 टीमों—गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल ने हिस्सा लिया था।

विजेता व उपविजेता टीमों को मिली ट्रॉफी।

फाइनल मुकाबले में औरंगाबाद की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। अपनी मजबूत रक्षापंक्ति (डिफेंस) और सटीक रेडिंग के दम पर औरंगाबाद ने मैच में लगातार बढ़त बनाए रखी। गया की टीम ने वापसी का प्रयास जरूर किया, लेकिन औरंगाबाद की रणनीति के आगे टिक नहीं सकी।

विजेता व उपविजेता टीमों को मिली ट्रॉफी: समापन समारोह में गया जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हरिप्रपन्न उर्फ पप्पू ने विजेता औरंगाबाद की टीम को चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की। वहीं हंसराज पब्लिक स्कूल के निदेशक विपिन कुमार सिंह ने उपविजेता गया की टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के सफल संचालन और जानकारी गया जिला कबड्डी संघ के सभापति आनंद शंकर तिवारी ने साझा की।

एआई से बनाई तस्वीर दिखाकर युवती पर डाला शादी का दबाव

विरोध करने पर बदमाशों ने की दो बहनों की पिटाई

सिटी रिपोर्टर | रफीगंज

रफीगंज थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 में एआई से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर दिखाकर एक युवती पर शादी का दबाव बनाने और विरोध करने पर पीड़िता व उसकी छोटी बहन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर 21 वर्षीय पीड़िता ने चार लोगों के खिलाफ रफीगंज थाने में नामजद आवेदन दिया है।

पीड़िता के अनुसार, 18 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे वह बड़ी दुर्गा मंदिर में पूजा करने गई थी। तभी राहुल कुमार नामक युवक ने एआई तकनीक से तैयार की गई दोनों की एडिटेड तस्वीर दिखाकर शादी करने का दबाव बनाया। युवती द्वारा विरोध करने और घर लौटने पर आरोपी अपने परिजनों के साथ कुदाल व साबल (लोहे की छड़) लेकर उसके घर पहुँच गया और हमला कर दिया।

सिर पर साबल से हमला, परिवार को मिली धमकी: आरोप है कि हमलावरों ने दोनों बहनों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान साबल के वार से पीड़िता और उसकी छोटी बहन के सिर में गंभीर चोटें आईं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा पूर्व से ही परिवार को परेशान किया जा रहा था और अब घटना के बाद जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे पूरा परिवार खौफ में है।

थानाध्यक्ष का बयान: रफीगंज थानाध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि पीड़ित युवती के आवेदन के आधार पर संबंधित धाराओं में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गहनता से तहकीकात कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

दिवंगत संतोष पटेल के परिजनों से मिले विधायक डॉ. प्रकाश चंद्रा, बच्चों की शिक्षा का लिया जिम्मा

भास्कर न्यूज़ | दाउदनगर

ओबरा प्रखंड की गैनी पंचायत के गैनी गांव निवासी संतोष पटेल की सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु की सूचना पर ओबरा विधायक डॉ. प्रकाश चंद्रा ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने परिजनों को इस कठिन समय में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।

विधायक ने परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मृतक के बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि संतोष पटेल की बेटी की जीएनएम की पढ़ाई और बेटे की 12वीं तक की स्कूली शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क कराई जाएगी। इसके साथ ही बेटे को आगे निःशुल्क बीएड कराने का भी संकल्प लिया।

आर्थिक अभाव में बाधित नहीं होगी शिक्षा:

डॉ. प्रकाश चंद्रा ने कहा कि परिवार पर आई इस विपदा का असर बच्चों के भविष्य पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। आर्थिक अभाव के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सकें।

दिवंगत संतोष पटेल के परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक डॉ. प्रकाश चंद्रा।

उल्लेखनीय है कि डॉ. प्रकाश चंद्रा 'हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा' के संरक्षक, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव तथा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विधायक की इस पहल से पीड़ित परिवार को दुख की घड़ी में बड़ा संबल मिला है।

प्रखंडों की 80 पंचायतों में बनेंगे मशरूम हट, 2 हजार मशरूम किट बांटने की योजना

मशरूम हट बनाने पर 80% अनुदान

सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद

औरंगाबाद जिले में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर विकसित करने के लिए मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। नीति आयोग की आकांक्षी प्रखंड योजना के तहत मशरूम हट के निर्माण पर 80 प्रतिशत अनुदान और मशरूम किट पर 100 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इच्छुक एवं पात्र किसानों को 26 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। आवेदन जिला कृषि कार्यालय, औरंगाबाद में जमा किया जा सकता है।इस योजना को जिले के आकांक्षी प्रखंडों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत आकांक्षी प्रखंडों की सभी पंचायतों में एक-एक मशरूम हट का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार कुल 80 मशरूम हट बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मशरूम उत्पादन शुरू करने के इच्छुक किसानों और अन्य पात्र लाभुकों के बीच 2,000 मशरूम किट का वितरण 100 प्रतिशत अनुदान पर किया जाना प्रस्तावित है।

हट निर्माण पर मिलेगा 80 प्रतिशत अनुदान

योजना के तहत मशरूम उत्पादन के लिए हट बनाने वाले पात्र लाभुकों को निर्माण लागत का 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए जरूरी संरचना विकसित करने में आर्थिक मदद मिलेगी। वहीं, मशरूम किट पर शत-प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इससे इच्छुक लाभुक कम शुरुआती खर्च में मशरूम उत्पादन की गतिविधि शुरू कर सकेंगे। हालांकि, अनुदान की वास्तविक राशि, हट निर्माण की निर्धारित लागत और लाभुकों के चयन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला कृषि कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।

कम जगह में भी आय बढ़ाने का अवसर

मशरूम उत्पादन कृषि आधारित स्वरोजगार का एक विकल्प है। इसके लिए बड़े भूखंड की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में सीमित जमीन वाले किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि योजना से किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत मिलेगा और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करने से कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

26 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि

योजना का लाभ लेने के इच्छुक एवं पात्र लाभुकों को 26 अक्टूबर 2026 तक आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जिला कृषि कार्यालय, औरंगाबाद में स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों, पात्रता की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। जिला प्रशासन ने इच्छुक किसानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी है।

कृषि कर्मियों को जागरूकता की जिम्मेदारी: योजना के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए आकांक्षी प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारियों, कृषि समन्वयकों और किसान सलाहकारों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों और इच्छुक लाभुकों को योजना की जानकारी देने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त करने को कहा गया है।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !
सम्पति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पत्तियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	पीएनबी - ओल्ड जी.टी. रोड (608300) श्रीमती अंजलि देवी, पति- श्री अरविंद कुमार श्री अरविंद कुमार, पिता- श्री जनार्दन सिंह निवासी-ग्राम-सुंदरगंज, दुधर, थाना-रिसियप, जिला- औरंगाबाद, बिहार-824102 यहाँ भी: श्री कृष्णा नगर, अहरी, शिव मंदिर के निकट, पोस्ट एवं थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद, बिहार-824101 खाता- 608300AF00000048	1. भूमि एवं भवन स्थित है: मौजा- पिरौंटा, थाना- फेसर, थाना संख्या- 545, तौजी संख्या- 4956, अंचल- औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद, बिहार, खाता संख्या- 87, प्लॉट संख्या- 464, क्षेत्रफल- 43.25 डेसिमल जिसका सेल डीड संख्या- 3764 दिनांक 08.03.2022, जो श्रीमती अंजलि देवी पति- श्री अरविंद कुमार के नाम पर है। चौहद्दी- उत्तर- सड़क, दक्षिण- सड़क, पूर्व- अरविंद कुमार सिंह, पश्चिम- रामू मेहता एवं चंद्रदीप पासवान प्लॉट संख्या- 463 एवं 462 2. भूमि एवं भवन स्थित: मौजा- पिरौंटा, थाना- फेसर, थाना संख्या- 545, तौजी संख्या- 4956, अंचल- औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद, बिहार, खाता संख्या- 87, प्लॉट संख्या- 464, क्षेत्रफल- 43.25 डेसीमल जिसका सेल डीड संख्या- 3765 दिनांक 08.03.2022 जो श्री अरविन्द कुमार पिता श्री जनार्दन सिंह के नाम पर है। चौहद्दी- उत्तर- रोड, दक्षिण- रोड, पूर्व- मुखदेव मेहता एवं हरवंश दुसाध प्लॉट संख्या- 465, पश्चिम- अंजलि देवी	(क) 11.04.2025 (ख) रु. 2,09,97,982.64/- + अतिरिक्त ब्याज (ग) 04.07.2025 (घ) सांकेतिक	(क) रु. 2,06,30,350/- (ख) रु. 20,63,035/- (ग) रु. 50,000/-	दिनांक 26.11.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 16:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26.11.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 16.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnb.bank.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा | प्राधिकृत अधिकारी